भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2333

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

2333 श्री संत बलबीर सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) इन चार्जिंग स्टेशनों का फास्ट चार्जिंग एवं स्लो चार्जिंग श्रेणियों के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें स्थापित करने हेतु उत्तरदायी एजेंसियां (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां) कौन-सी हैं; और

(घ) पंजाब में फेम-I, फेम-II और किसी अन्य केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): बीएचईएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 29.07.2026 की स्थिति के अनुसार देशभर में कुल 52,718 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। स्थापित ईवीसीएस का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): ईवी चार्जिंग स्टेशनों का फास्ट-चार्जिंग एवं स्लो-चार्जिंग श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग): चार्जिंग स्टेशन की स्थापना लाइसेंस से मुक्त गतिविधि है तथा निजी क्षेत्र की संस्थाएं विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा दिनांक 17 सितंबर, 2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकती हैं।

फेम-II स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियां तीन तेल विपणन कंपनियां, नामतः आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल तथा पांच संस्थाएं, नामतः आरईआईएल, सीईएसएल, केएसईबी, एसएमसी एवं पावरग्रिड हैं।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम भारी उद्योग मंत्रालय को ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र हैं। भारत सरकार के मंत्रालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईवीपीसीएस की मांग का समेकन करने के लिए नोडल एजेंसी/एजेंसियों को नामित कर सकते हैं। ये पात्र संस्थाएं ईवीपीसीएस की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण स्वयं कर सकती हैं अथवा इसके लिए चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों (सीपीओ) को भी नियुक्त कर सकती हैं।

(घ): **फेम-I:** स्कीम के अंतर्गत स्थापित 479 चार्जरों में से पंजाब में कोई भी चार्जर स्थापित नहीं किया गया। तथापि, फेम-I स्कीम के अंतर्गत चंडीगढ़ में 48 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे (पीआईबी, दिनांक 19.07.2022)।

फेम-II: तीनों ओएमसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II स्कीम के अंतर्गत पंजाब में कुल 439 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा चंडीगढ़ में 25 ईवीपीसीएस स्थापित किए गए हैं।

पीएम ई-ड्राइव: दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत पंजाब राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 29.07.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीएस) का विवरण:

क्र. सं.	**राज्य/यूटी का नाम**	**स्थापित ईवीसीएस की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9
2	आंध्र प्रदेश	1,976
3	अरुणाचल प्रदेश	80
4	असम	630
5	बिहार	1,044
6	चंडीगढ़	76
7	छत्तीसगढ़	717
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	32
9	दिल्ली	2,370
10	गोवा	314
11	गुजरात	2,789
12	हरियाणा	2,291
13	हिमाचल प्रदेश	256
14	जम्मू और कश्मीर	295
15	झारखंड	525
16	कर्नाटक	6,805
17	केरल	3,399
18	लद्दाख	25
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	1,959
21	महाराष्ट्र	6,985
22	मणिपुर	72
23	मेघालय	124
24	मिजोरम	40
25	नागालैंड	53
26	ओडिशा	1,055
27	पुडुचेरी	77
28	पंजाब	1,548
29	राजस्थान	2,827
30	सिक्किम	22
31	तमिलनाडु	3,839
32	तेलंगाना	3,739
33	त्रिपुरा	75
34	उत्तर प्रदेश	4,493
35	उत्तराखंड	410
36	पश्चिम बंगाल	1,766
कुल योग		**52,718**

स्रोत : बीएचईएल